न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : वंदना सिंघवी

राजस्व अपील संख्या 534/2017

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोन्डेन्ट
1–श्रीमती फतुकंवर पुत्री स्व0 सांवतसिह जाति राजपूत निवासी हरिओम नगर भीकमकौर तहसील ओसियां जिला जोधपुर 2–श्रीमती जडावकंवर पुत्री स्व0 सांवतसिह जाति राजपूत निवासी हरि ओमनगर, भीकमकोर तहसील ओसियां हाल निवासी बावरला तहसील व जिला जोधपुर		1– रामसिह पुत्र स्व0 सांवतसिह जाति राजपूत निवासी हरिओम नगर भीकमकोर, तहसील ओसियां जिला जोधपुर 2– ग्राम पचायत भीकमकोर जरिये सरपंच तहसील ओसियां जिला जोधपुर 3– राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार ओसियां, जिला जोधपुर 4– अन्नाराम पुत्र भागीरथ राम 5– प्रेमाराम पुत्र भागीरथ राम जातियान विश्नोई निवासीगण विश्नोईयान की ढाणी, ग्राम कुरसी तहसील खींवसर जिला नागौर

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध आदेश दिनांक 11–7–2016 जो सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) ओसियां द्वारा राजस्व अपील संख्या 21/2012 (1/2015) अनवान फतूकंवर वगैरा बनाम रामसिह वगैरा मे पारित किया गया ।

उपस्थिति बहसः–

1– श्री उम्मेद सिह बावरला अधिवक्ता अपीलांट की ओर से ।
2– श्री लाधूराम पूनिया अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 1 की ओर से ।
3– श्री किशनाराम विश्नोई अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 4 व 5 की ओर से ।
4– राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 3 की ओर से ।

निर्णय

दिनांक 28–5–2018

इस अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम भीकमकोर स्थित खसरा नंबरान 171, 1097, 171/1 एवं 170 की कुल 323 बीघा भूमि खातेदार सांवतसिह पुत्र हमीरसिह कौम राजपूत सा0 देह के खातेदारी की थी । उक्त खातेदार सांवतसिह के फोत होने पर उक्त खातेदारी भूमि का फोतेदगी म्युटेशन संख्या 306 उसके पुत्र रामसिह के पक्ष मे भरा जाकर प्रस्तुत किया जिसे सरपंच ग्राम पंचायत भीकमकोर द्वारा स्वीकार किया ।

उक्त म्युटेशन संख्या 306 की जानकारी होने पर म्युटेशन के विरूद्ध वर्तमान अपीलांटगण ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष यह कथन करते हुए प्रथम अपील पेश की कि वे भी मृतक खातेदार सांवतसिहजी की पुत्रियां है तथा प्रथम श्रेणी की वारिसान होने से उनका भी अपने पिता के खातेदारी की भूमि मे हक अधिकार होते हुए अपीलाधीन म्युटेशन मे उनका नाम इन्द्राज किये बिना अकेले पुत्र के नाम स्वीकृत कर दिया, जो विधिसम्मत नही होने से उसे निरस्त करने का निवेदन किया तथा अपील पेश करने मे हुए विलंब को क्षमा करने बाबत अपील के

साथ धारा 5 मयाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथपत्र भी पेश किया । अधीनस्थ न्यायालय ने उनके समक्ष प्रस्तुत अपील जो नियमित कोर्ट मे चल रही थी जिसे लोक अदालत/केम्प कोर्ट पल्ली मे रखते हुए अपीलाधीन आदेश दिनांक 11–7–16 के द्वारा अपील को मयाद के बिन्दु पर खारीज कर दिया । जिसके विरूद्ध वर्तमान अपील इस न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।

उभयपक्ष के अधिवक्ता उपस्थित । वकील पक्षकारान की बहस सुनी । अपीलांट अधिवक्ता ने अपील मीमो मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलार्थिया मृतक खातेदार सांवतसिह की जायंदा पुत्रियां है तथा वे भी हिन्दु उतराधिकार अधिनियम की धारा 8 अनुसार प्रथम श्रेणी की वारिस होने से उनका अपने पिता के खातेदारी की भूमि मे पुत्र के समान बराबर का अधिकार होते हुए अपीलाधीन म्युटेशन संख्या 306 बिना मृतक के वारिसान की जांच किये ही अकेले पुत्र के नाम से दर्ज कर स्वीकृत कर दिया, जो विधिसम्मत नही होने से उक्त म्युटेशन की जानकारी अपीलार्थियां को होने पर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रथम अपील के साथ धारा 5 मयाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपील प्रस्तुत करने मे हुए विलंब को क्षमा करने का निवेदन किया था । अधीनस्थ न्यायालय मे अपीलार्थियां की अपील दिनांक 24–8–2012 को दर्ज रजिस्टर की जाकर पत्रावली वास्ते जवाब मे चल रही थी तथा आगामी तारीख पेशी दिनांक 20–7–2016 को रखी हुई थी परंतु बिना पक्षकारो को नोटिस या सूचना के ही पत्रावली निर्धारित तारीख पेशी से पूर्व लोक अदालत/केम्प कोर्ट पल्ली मे ले जाकर अपीलाधीन म्युटेशन संख्या 306 जो कि वर्ष 1972 मे स्वीकृत किया गया था, के विरूद्ध विलंब से अपील पेश करने तथा धारा 5 मयाद अधिनियम मे कोई ठोस कारण का उल्लेख नही होने का कथन करते हुए अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थियां की अपील को एकतरफा बिना पक्षकारान को सुने ही खारीज करने मे विधिक भूल की है इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्तो के विपरीत पारित किया हुआ होने से निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने इस न्यायालय मे भी अपील प्रस्तुत करने मे हुए विलंब के संबंध मे कथन किया कि चूँकि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश बिना पक्षकारान को सूचित किये ही तारीख पेशी से पूर्व पत्रावली को केम्प मे ले जाकर निर्णित कर दी जाने की सूचना अपीलार्थियां एवं उनके अधिवक्ता को नही हुई तथा न्यायालय से बार बार सम्पर्क करने पर भी जानकारी विलंब से हासिल हो पाने के कारण इस न्यायालय मे प्रस्तुत अपील विलंब से पेश की है जिसकी छूट बाबत धारा 5 मयाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मे इसका विस्तृत उल्लेख किया हुआ है इसलिए अपीलार्थियां की उक्त अपील को अंदर मयाद सुमार करते हुए अपील स्वीकार करने तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 11–7–2016 एवं अपीलाधीन म्युटेशन संख्या 306 को निरस्त करने तथा अपीलाधीन भूमि मे अपीलार्थियां का भी नाम दर्ज करने के आदेश पारित करने का निवेदन किया ।

रेस्पो0 की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये निर्णय का समर्थन करते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलाधीन म्युटेशन के विरूद्ध लगभग 39 वर्षो के विलंब से अपील पेश की थी तथा विलंब को क्षमा करने का धारा 5 मयाद अधिनियम मे कोई ठोस कारण का उल्लेख नही होने से अधीनस्थ न्यायालय ने उनके समक्ष प्रस्तुत अपील को मयाद के बिन्दु पर सही खारीज किया है । रेस्पो0 अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन निर्णय के विरूद्ध इस न्यायालय हाजा के समक्ष भी प्रस्तुत अपील विलंब से पेश की है ऐसे मे इस न्यायालय स्तर से भी उक्त अपील मयाद के बिन्दु पर ही खारीज करने का निवेदन किया ।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली, आदेशिकाओ एवं अपीलाधीन म्युटेशन संख्या 306 तथा पारित किया गया अपीलाधीन निर्णय आदि का अवलोकन किया । अपील मे वर्णित वादग्रस्त भूमि ग्राम भीकमकोर स्थित खसरा नंबरान 171, 1097, 171/1 एवं 170 की कुल 323 बीघा के खातेदार सांवतसिह पुत्र हमीरसिह कौम राजपूत सा0 देह था। उक्त खातेदार सांवतसिह के फोत होने पर उक्त खातेदारी भूमि का फोतेदगी म्युटेशन संख्या 306 उसके पुत्र रामसिह के पक्ष मे भरा जाकर सरपंच ग्राम पंचायत भीकमकोर द्वारा वर्ष 1972 मे स्वीकार किया गया था जिसके विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय मे अपीलार्थिया गण ने यह कथन करते हुए प्रथम अपील पेश की थी कि वे मृतक खातेदार सांवतसिह की पुत्रियां है तथा उक्त खातेदारी की भूमि मे पुत्रियां होने के नाते तथा वे भी मृतक खातेदार सांवतसिह की प्रथम श्रेणी की वारिस होते हुए उनका नाम अपीलाधीन म्युटेशन मे दर्ज नही किया जो विधिविरूद्ध होने से उसे निरस्त करने का निवेदन किया तथा अपील प्रस्तुत करने मे हुए विलंब को क्षमा करने बाबत अपील के साथ धारा 5 मयाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र एवं शपथपत्र पेश किया था । अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत अपील न्यायालय हाजा मे दिनांक 24–8–2012 को दर्ज रजिस्टर की जाकर अपीलाधीन आराजी के संबंध मे मौके एवं राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति का आदेश भी पारित किया गया था तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली की आदेशिका अनुसार पत्रावली नियमित कोर्ट मे तारीख पेशियो पर चल रही थी तथा दिनांक 1–6–2016 की सीलनुमा आदेशिका मे आगामी तारीख पेशी दिनांक 20–7–16 को नियत थी परंतु इससे पूर्व ही पत्रावली को लोक अदालत/केम्प कोर्ट पल्ली मे दिनांक 11–7–16 को ही रखकर अपीलाधीन आदेश के द्वारा प्रथम अपील को खारीज कर दिया जबकि पत्रावली मे ऐसा कोई नोटिस या सूचना का प्रमाण उपलब्ध नही है जिससे यह प्रकट हो कि पक्षकारान को पत्रावली नियत तिथि से पूर्व केम्प मे रखने की जानकारी हुई हो । अधीनस्थ न्यायालय ने बिना पक्षकारो को सूचित किये तथा बिना सुने एकतरफा अपीलाधीन निर्णय पारित करना प्रकट है जो न्याय के नैसर्गिक

सिद्धान्तो के विपरीत होने से समर्थन योग्य नही होने से उसे बहाल रखा जाना न्यायोचित नही है ।

इसके अलावा यह भी उल्लेखनीय है कि अपीलाधीन निर्णय बिना अपीलार्थियां को सुने एवं सूचित किये एकतरफा पारित किया हुआ होने से अपीलाधीन निर्णय की जानकारी अपीलार्थियां को समय पर नही हो सकने से इस न्यायालय मे अपील प्रस्तुत करने मे हुए विलंब को सद्भाविक मानते हुए उक्त अपील को अंदर सुमार किया जाकर अपीलार्थियां की उक्त अपील स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ओसियां द्वारा पारित किया गया अपीलाधीन निर्णय दिनांक 11–7–16 को निरस्त कर प्रकरण पुनः अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि उभय पक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर अपील का मयाद एवं गुणावगुण पर विवेचन करते हुए पुनः नये सिरे से विधिसम्मत निर्णय पारित करें ।

निर्णय आज दिनांक 28–5–2018 को खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(वंदना सिंघवी)
अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर